दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड
राष्टीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

क्रमाकः-पी.सी. /ए.सी.क्यू-305/2018/डी-52 दिनांक- 20/3/18

विषयः- श्री पंकज पुष्कर, विधायक द्वारा पुछे गये अतारांकित प्रश्न शंख्या 305 का उत्तर निम्नलिखित है- दिनांक 26.03.2018

प्रश्न	उत्तर
(क)तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र के मलका गंज वार्ड के अन्तर्गत आने वाली डूसिब के कितने कटरों का मूल स्वरूप खत्म करके बिल्डर माफिया द्वारा वर्तमान में फ्लैट बना दिए गए हैं, कृपया सूची उपलब्ध कराएं;	अभी तक ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। जब अवैध निर्माण की कोई सूचना प्राप्त होती है तो उसकी सूचना पुलिस व उत्तरी दिल्ली नगर निगम को कार्यवाही हेतु भेज दी जाती है।
(ख) कितने कटरों की स्थिति खतरनाक या दयनीय है, कृपया पूरी सूची उपब्ध कराएं;	डी.एम.सी. एक्ट 1957 के अनुसार किसी भी भवन को खतरनाक घोषित करने का अधिकार दिल्ली नगर निगम के पास है। क्षेत्रिय विधायक, कटरा निवासी, अन्य किसी व्यक्ति अथवा अधिकारी गण द्वारा निरीक्षण के समय मरम्मत के योग्य पाये गये कटरों में विभाग द्वारा मरम्मत की कार्य वाही की जाती है वर्तमान में ऐसे कटरों की सूची निम्नलिखित हैः- 1. कटरा संख्या 1947 में कार्य प्रगति पर है। 2. कटरा संख्या 638 में निविदा प्राप्त हो गई है। 3. कटरा संख्या 3220 में निविदा प्राप्त हो गई है।

	4. कटरा संख्या 182 से 215 में आंकलन कर चेकिंग प्रक्रिया में है।
(ग) इन कटरों के पुनर्निर्माण की विभाग की क्या योजना है;	कटरों में पुनर्निर्माण की कोई योजना इस विभाग में नही है। सभी मरम्मत के कार्य दिल्ली सरकार की प्लान स्कीम "स्ट्रक्चरल ईम्परूवमैन्ट व रिहैब्लिटेशन" स्कीम के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार किया जाता हैं
(घ) क्या यह सत्य है कि कुछ मामलों में जिन कटरों का पुनर्निर्माण अप्रैल 2015 के बाद किया गया है, उन पर भी पूर्व विधायक, संसद सदस्य या निगम पार्षद द्वारा पुनर्निर्माण किए जाने के पत्थर लगे हैं;	नही, 2015 के बाद कटरों में मरम्मत या नवीनी करण के कार्यो में किसी भी पूर्व सांसद, विधायक या निगम पार्षद के नाम का पत्थर नहीं लगाया गया है। पूर्व सांसद, विधायक या निगम पार्षद के नाम के जो पत्थर दिखाई दे रहे हैं, वे 2015 से पहले हुए कार्यों के समय के लगे हुए है।
(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और	उपरोक्त उत्तर के दृष्टिकोण से लागू नहीं।
(छ) ऐसे मामलों में तथ्यात्मक जानकारी देने की सरकार की क्या योजना है?	उपरोक्तानुसार

यह उत्तर सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति से प्रेषित किया जाता है।

उप निदेशक (संसद प्रकोष्ट)

उप सचिव (प्रश्न शाखा) पुराना सचिवालय दिल्ली सरकार दिल्ली -54